

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 35/2026

तारीख दायर - 23/2/2026

भंवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भटखेडी (माल का खेडा) तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. रामपाल पुत्र नाना जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. ममता देवी पत्नि दुर्गेशकंवर जाति तिवाडी उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. रामा पुत्र राजू जाति भील उम्र वयस्क निवासी भवानजी का खेडा (माल का खेडा) तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:—आदेश:—

दिनांक - 16/3/2026

प्रार्थनापत्र गंगा पत्नि प्रभु ने जरिये अभिभाशक श्री मनीष धाकड़, एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा धनवाडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 406 आराजी नंबर 67/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खाता संख्या 134 आराजी नंबर 65 रकबा 3.4641 हैक्टेयर, आराजी नंबर 66 रकबा 0.4209 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.8850 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा धनवाडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 406 आराजी नंबर 67/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर



व खाता संख्या 134 आराजी नंबर 65 रकबा 3.4641 हैक्टेयर, आराजी नंबर 66 रकबा 0.4209 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.8850 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 35/2026

तारीख दायर - 23/2/2026  
च. तारीख - 16/3/2026

प्रेषिति:-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 35/2026 ..... पत्थरगढी बाबत।

भंवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भटखेडी (माल का खेडा) तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. रामपाल पुत्र नाना जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. ममता देवी पत्नि दुर्गेशकंवर जाति तिवाडी उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. रामा पुत्र राजू जाति भील उम्र वयस्क निवासी भवानजी का खेडा (माल का खेडा) तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि मौजा धनवाडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 406 आराजी नंबर 67/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खाता संख्या 134 आराजी नंबर 65 रकबा 3.4641 हैक्टेयर, आराजी नंबर 66 रकबा 0.4209 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.8850 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जाँवें। मौके पर पत्थरगढी के दोरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जासिये पत्थरगढी कब्जा नही हटायया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।



उपखण्ड अधिकारी